पत्रांक- 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8044**/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक : 11/10/2017

विषयः- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी सेवकों को स्वीकृत यात्रा भत्ता के वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-922, दिनांक-29/01/2010 के द्वारा दिनांक-01/02/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।

2. केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया।

3. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 द्वारा दिनांक-01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है।

4. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (Volume-II) के अध्याय-3 में राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। ।

5. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर सम्यक् रूप से विचार कर राज्य सरकार ने यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान आदि के दरों को पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर निम्नलिखित रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है:-

(A) <u>यात्रा हेतु श्रेणी की अनुमान्यता</u> :-

(क) वायुयान से यात्रा (नियम-63):-

क्र०सं०	वेतन स्तर	यात्रा भत्ता
1.	वेतन स्तर-14 एवं अधिक	Business Class
2.	वेतन स्तर-11, 12 एवं 13	Economy Class
3.	वेतन स्तर-8, 9 एवं वेतन स्तर-10 (AIS and Central Services)	Economy Class under special permission

नोटः- *वेतन स्तर-8, 9 एवं 10 (AIS and Central Services) के कर्मी/पदाधिकारी संबंधित सचिव/एच०ओ०डी०/आयुक्त के विशेष अनुमति पर ही वायुयान से इकोनॉमी क्लास में यात्रा के हकदार होंगे।*

(ख) रेल से यात्रा (नियम-46):-

क्र०सं०	वेतन स्तर	यात्रा भत्ता
1.	वेतन स्तर-12 एवं अधिक	A.C. 1st Class
2.	वेतन स्तर-6 से 11	A.C. 2nd Class
3.	वेतन स्तर- 5 एवं इससे कम	A.C. 3rd Class / A.C. Chaircar

(ग) सड़क से यात्रा (नियम-57):-

क्र०सं०	वेतन स्तर	यात्रा भत्ता
1.	वेतन स्तर-13 एवं अधिक	A.C. Bus/A.C. Taxi/A.C. Car
2.	वेतन स्तर-6 से 12	A.C. Bus/A.C. Taxi/A.C. Car
3.	वेतन स्तर-4 एवं 5	Bus/ Auto
4.	वेतन स्तर-3 एवं इससे कम	Bus/ Auto

राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान/रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा।

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	किराया
1.	वातानुकूलित बस / बस	वास्तविक किराया
2.	वातानुकूलित टैक्सी	24 रुपया प्रति किलोमीटर
3.	निजी कार	15 रुपया प्रति किलोमीटर
4.	टैक्सी	20 रुपया प्रति किलोमीटर
5.	ऑटो रिक्शा	10 रुपया प्रति किलोमीटर
6.	दुपहिया वाहन	5 रुपया प्रति किलोमीटर
7.	प्री-पेड टैक्सी / ऑटो	वास्तविक किराया, प्राप्ति रसीद के आधार पर

(B) दैनिक भत्ता (Daily Allowance), नियम-69(1) :-

शहरों का वर्गीकरण और देय दैनिक भत्ता की दर रु० में।

वेतन स्तर	श्रेणी 'X' (मेट्रो)	श्रेणी 'Y' (पटना)	श्रेणी 'Z' (अन्य)
14 एवं अधिक	7500/- होटल	5000/- होटल	4000/- होटल
	1200/- सामान्य	800/- सामान्य	600/- सामान्य
11, 12, 13 एवं 13A	4500/- होटल	3500/- होटल	2500/- होटल
	1000/- सामान्य	750/- सामान्य	500/- सामान्य
6, 7, 8 एवं 9	2800/- होटल	1500/- होटल	1000/- होटल
	800/- सामान्य	600/- सामान्य	400/- सामान्य
5 एवं इससे कम	1000/- होटल	500/- होटल	300/- होटल
	500/- सामान्य	375/- सामान्य	275/- सामान्य

नोट:- *उपर्युक्त होटल दर आवासन एवं भोजन (Boarding and Lodging) पर व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा है, बशर्त्ते कि वास्तविक अभिश्रव का समर्पण किया जाए।*

यदि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम के गेस्ट हाउस में रहने का व्यय 'सामान्य दर' से ज्यादा हो, तो वास्तविक अभिश्रव समर्पित करने पर उस राशि की प्रतिपूर्त्ति की जा सकेगी, परन्तु यह किसी भी परिस्थिति में 'होटल दर' से अधिक नहीं होगा।

(C) स्थानान्तरण अनुदान (Transfer Grant), नियम-88 :-

(i) राज्य के अन्दर अंतर जिला स्थानान्तरण के क्रम में मूल वेतन का आधा, एवं

(ii) राज्य के बाहर स्थानान्तरण होने पर मूल वेतन का 80 (अस्सी) प्रतिशत के समतुल्य राशि स्थानान्तरण अनुदान के रूप में देय होगा।

(D) निजी सामग्रियों के परिवहन की अनुमान्यता:-

क्र०सं०	वेतन स्तर	रेल/स्टीमर द्वारा	सड़क द्वारा
1.	वेतन स्तर-12 एवं अधिक	6 हजार कि०ग्रा० / एक चार चक्के का वाहन/एक दुहरा कांटेनर	50 रु० प्रति किलोमीटर
2.	वेतन स्तर-6, 7, 8, 9 एवं 11	6 हजार कि०ग्रा० / एक चार चक्के का वाहन/एक इकहरा कांटेनर	50 रु० प्रति किलोमीटर
3.	वेतन स्तर- 5	3 हजार कि०ग्रा०	25 रु० प्रति किलोमीटर
4.	वेतन स्तर- 4 एवं इससे कम	1500 कि०ग्रा०	15 रु० प्रति किलोमीटर

6. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में इस सन्दर्भ में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/पत्र को इस संकल्प में अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जाय।

7. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8044**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8044**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदा०/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8044**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8044**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/ श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग / वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उच्चतर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।